



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक:

—अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-II(D)/से०नि०

दिनांक:

24/09/2026

कार्यालय—ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेशन के लेखा संवर्ग के अधोनामित कार्मिक अधिवर्षता की आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्तम्भ-6 में अंकित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	जन्मतिथि	अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने पर माह की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजीव कुमार	सहायक लेखाधिकारी	विद्युत वितरण मण्डल (ग्रामीण), देहरादून	01.03.1967	28.02.2027 (अपरान्ह)
2	श्री प्रकाश राम बैरी	लेखाधिकारी	विद्युत वितरण मण्डल, चम्पावत	12.06.1967	30.06.2027 (अपरान्ह)
3	श्री राजकुमार वर्मा	सहायक लेखाधिकारी	महाप्रबन्धक (वित्त), आंतरिक सम्प्रेक्षा, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून	24.06.1967	30.06.2027 (अपरान्ह)
4	श्री नरेश चन्द	सहायक लेखाधिकारी	विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़	02.06.1967	30.06.2027 (अपरान्ह)

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कार्मिकों को स्तम्भ-6 में दर्शित उनकी अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि की अपराहन तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिकारी की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व कॉरपोरेशन सेवा में सेवारत रहते हुए उनके पेंशन-प्रलेखों की तैयारी के लिए उनकी अर्हकारी सेवा की संगणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायायिक/प्रशासनिक जांच, यदि कोई लम्बित हो, पूरी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कर ली जायें। सम्बन्धित परिषदीय/कॉरपोरेशन कर्मचारी यदि विभाग के आवासीय भवन में रह रहा हो तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद विभागीय आवास को खाली कर दे तथा उसके समस्त देयकों का तत्काल कारपोरेशन को भुगतान कर दे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं कर्मचारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

संबन्धित नियंत्रक अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन प्रपत्र ससमय अपने माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं सम्बन्धित कर्मचारी का भी दायित्व होगा कि वे अपने पेंशन प्रपत्रों को अपनी सेवानिवृत्ति के निर्धारित समयानुसार कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि निर्धारित समयावधि तक प्रपत्रों को पेंशन स्वीकृति हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 4567

—अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-II(D)/से०नि०, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशासी निदेशक(मा०सं०), वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- समस्त निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि,
- सम्बन्धित महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि,
- सम्बन्धित, अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,
- सम्बन्धित उपमुख्य लेखाधिकारी,
- उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुभाग, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- सम्बन्धित, अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि,
- अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक/कार्यालय ज्ञाप पंजिका/वै० पत्रावली।

(Signature)

(जितेन्द्र सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)